तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15-2-22	आज पीठासीन अधिकारी महोदय अवकाश पर। अन्य कार्यों में व्यस्त होने से आदेशों की पालना में पत्रावली नियत दिनांक 22-2-22 को पेश हो।	
22-2-22	अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 3 उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 3 की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 3 द्वारा निवेदन किया गया कि प्रकरण में तत्कालीन पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा चूणावत नायब तहसीलदार लालसोट कार्यवाहक तहसीलदार लालसोट का स्थानांतरण हो चुका है इसलिये विचाराधीन प्रार्थना पत्र स्थानांतरण को आगे चलाये जाने का औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र स्थानांतरण खारिज फरमाया जावे। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 3 के उक्त कथन से सहमत होते हुए प्रार्थना पत्र स्थानांतरण खारिज किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना व्यक्त किया गया। हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस श्रवण किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में तत्कालीन पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा चूणावत तत्कालीन कार्यवाहक तहसीलदार लालसोट का स्थानांतरण होने एवं प्रार्थना पत्र स्थानांतरण खारिज किये जाने में अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा कोई आपत्ति नहीं होना व्यक्त किया गया है अतः प्रकरण केसन्ती रामादेवी बनाम मुकेश आदि रिमाण्ड नामांतरकरण सं. 192 ग्राम देवली तहसील लालसोट को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानांतरित किये जाने हेतु प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानांतरण खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लालसोट को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ लेख भण्डार की जावे। निर्णय आज दिनांक 22-2-2022 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया। अति. जिला कलक्टर दौसा	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official